उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 321/2023

शशिकान्त तिवारी वगै0 .....वादीगण।

बनाम्

अक्षयवर तिवारी वगै0 .....प्रतिवादीगण।

आदेश

07.08.2025

वादी की पैरवी है। प्रतिवादी उनुपस्थित है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 08.05.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व 06 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि वादी ने वर्तमान वाद बटवारा के लिए दाखिल किये है। अनुरोध करते है कि प्रतिवादी सं0 07 के बाद प्रतिवादी सं0 08 के रूप में सुरेश तिवारी बतौर पक्षकार बनाया जाय तथा वाद पत्र में कुछ तथ्यों का संशोधन करना जरूरी है जो न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्तावित अर्जी मरम्मत फार्मल नेचर का है जिससे मुकदमा की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। जिसके आलोक में अर्जी में संशोधन करना आवश्यक है तथा अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए, अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा वाद अभी प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतू चल रहा है। उक्त आवेदन के आलोक में वादी के ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में केबाला की छाया प्रति दाखिल किया गया है जिससे प्रतीत हो ता है कि सुरेश सिंह ने प्रतिवादी सं0 02 को भूखण्ड के अंश के निस्वत दिनांक 05.04. 2018 को केबाला तहरीर किया है। जिससे कि सुरेश तिवारी को प्रतिवादी को पक्षकार बनाना और अर्जी में संशोधन करना आवश्यक प्रतीत होता है। वादी का आवेदन महज औपचारिक है एवं जिससे मुकदमा का प्रकृति नहीं बदलता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 08.05.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व 06 नियम 17 दफा 151 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता कार्यालय लिपिक के समक्ष आवेदनानुसार समय सीमा के अंतर्गत अर्जी में आवश्यक संशोधन करें। कार्यालय संशोधन पश्चात् सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करें।

दिनांक– 18.09.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)